न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 70 सन 2020

अनवान :–

1. मोहरसिह पुत्र प्रभूराम जाति मेधवाल निवासी उदासर बडा तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. भवानीशंकर पुत्र प्रभुराम जाति मेधवाल निवासी उदासर बडा तहसील नोहर
3. तीजा पत्नी प्रभूराम जाति मेधवाल निवासी उदासर बडा तहसील नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 22/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 26/75 की कुल 10.5470हैक भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी व तरतीबी प्रतिवादी के पिता/पति का नाम प्रभुदयाल दर्ज कर रखा है जबकि वादी के पिता/पति का सही नाम प्रभूराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी के पिता का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी व तरतीबी प्रतिवादी के पिता/पति का सही नाम प्रभूराम है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर प्रभूदयाल के स्थान पर प्रभूराम संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित होकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 26/75 की कुल 10.5470हैक भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी व तरतीबी प्रतिवादी के पिता/पति का नाम प्रभुदयाल दर्ज कर रखा है जबकि वादी के पिता/पति का सही नाम प्रभूराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी के पिता का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी व तरतीबी प्रतिवादी के पिता/पति का सही नाम प्रभूराम है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 26/75 की कुल 10.5470हैक भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम दर्ज है

वादी का कथन है कि वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय प्रभूराम के स्थान पर प्रभूदयाल दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने अपने पिता के नाम के सम्बध में सरंपच ग्राम पंचायत पाण्डुसर की तस्दीक पेश की गई है जिसमें वादी तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के पिता एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 के पति का नाम प्रभूराम होना प्रतीत होता है। वादी एवं तरतबी प्रतिवादी अपने पिता /पति का नाम संशोधन करवाना चाहते है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 26/75 की कुल 10.5470हैक भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,के पिता तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 के पति का नाम प्रभूदयाल अंकित है के स्थान पर प्रभूराम उर्फ प्रभूदयाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. मोहरसिह पुत्र प्रभूराम जाति मेधवाल निवासी उदासर बडा तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. भवानीशंकर पुत्र प्रभुराम जाति मेधवाल निवासी उदासर बडा तहसील नोहर
3. तीजा पत्नी प्रभूराम जाति मेधवाल निवासी उदासर बडा तहसील नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 298 सन 2020 निर्णय दिनांक– 22/3/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 26/75 की कुल 10.5470हैक भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,के पिता तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 के पति का नाम प्रभूदयाल अंकित है के स्थान पर प्रभूराम उर्फ प्रभूदयाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/3/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (सुजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर